निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 23 / 2024 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

राज्य सरकार जरिये कविता शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री मोहम्मद रमजान खोखर पुत्र श्री नूर मोहम्मद खोखर, निवासी 999, मौहल्ला बिसातियान, दूदू हाउस, चौकडी घाट दरवाजा, जयपुर मैसर्स एम.एम. खान होटल, शॉप नम्बर 115–116–117 रामगंज बाजार, जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 14.2 किलोग्राम क्षमता के 04 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल मय एलपीजी 44.200 किलोग्राम, एक रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थित:–

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से ।.
2. श्री ताहीर खान, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 12.03.2025

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस के अवैध व्यावसायिक उपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी मय प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक 08.05.2024 को मैसर्स एम. एम. खान होटल, शॉप नम्बर 115–116–117, रामगंज, जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल क्षमता 14.2 किलोग्राम पाये गये। अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर एस.आर. नम्बर 665386 को रबड पाईप व रेग्युलेटर द्वारा भट्टी से जोडकर रोटी बनाने एवं पका हुआ भोजन बनाने के उपयोग में लिया जा रहा था एवं होटल की प्रथम मंजिल पर बनी रसोई में 3 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. के और रखे पाये गये जिनको जब्त किया गया। जब्त धरेलू गैस सिलेण्डर्स को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 13.05.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से श्री ताहीर खान अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मैसर्स एम. एम. खान होटल, शॉप नम्बर 115–116–117, रामगंज, जयपुर पर श्री मोहम्मद रमजान खोखर पुत्र श्री नूर मोहम्मद खोखर की उपस्थिति में जांच की गई। मौके पर कुल 04 बीपीसीएल कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किलोग्राम के पाये गये जिसमे एक घरेलू सिलेण्डर पर भट्टी से जुडा पाया गया जिस पर रोटी बनाने का कार्य किया जा रहा था। मौके पर मैसर्स खण्डेलवाल गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री मोहम्मद उस्मान को बुला कर तौल कराया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डरो में कुल 44.200 किलो ग्राम एल.पी.जी. पाई गई। मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तोवज पेश किया गया और न ही अवैद्य भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थी के कब्जे से जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर प्रार्थी के स्वयं के है। सिलेण्डर कनेक्शन शुदा है। अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के किसी शर्त या धारा का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर रिलीज किये जाने के आदेश फरमावें।99

6. उभय पक्ष को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 08.05.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच मौके पर 04 बीपीसीएल कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 44.200 किलोग्राम पाये गये है। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है इसके बावजूद अप्रार्थी फर्म द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर्स से रोटी एवं पका हुआ भोजन बनाकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैघ मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 04 बीपीसीएल कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 44.200 किलोग्राम व एक रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।

9. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 13.05.2024 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।

11. निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner